



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092022-238850
CG-DL-E-15092022-238850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4127]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2022/भाद्र 23, 1944

No. 4127]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 14, 2022/BHADRA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

का.आ. 4308(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के भू-खण्ड "राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के विद्यमान 2 लेन नंदीगामा बाईपास के कि.मी. 220.700 से 226.600 कि.मी. (डिजाइन चेनेज कि.मी. 220.700 से कि.मी. 227.480 तक) और कांचिकचेरला बाईपास कि.मी. 238.200 से कि.मी. 245.000 (डिजाइन चेनेज कि.मी. 238.200 से कि.मी. 245.760 तक) को NHDP के तहत EPC में 6 लेन करने के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन ऐसी भूमि के पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉयंट कलेक्टर, एनटीआर डिस्ट्रिक्ट, विजयवाड़ा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर जिले में "राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के विद्यमान 2 लेन नंदीगामा बाईपास के कि.मी.220.700 से 226.600 कि.मी. (डिजाइन चेनेज कि.मी. 220.700 से कि.मी. 227.480 तक) और कांचिकचेरला बाईपास कि.मी.238.200 से कि.मी. 245.000 (डिजाइन चेनेज कि.मी. 238.200 से कि.मी. 245.760 तक)" को NHDP के तहत EPC में 6 लेन करने के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: एनटीआर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नंदीगमा					
गांव का नाम: नंदीगमा					
1	430/1B2	निजी	ड्राय	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
2	430/2	निजी	ड्राय	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
3	640/1B1A	निजी	ड्राय	1,943.0000000(वर्ग मीटर)	0.1943000
4	640/3A1	निजी	ड्राय	769.0000000(वर्ग मीटर)	0.0769000
5	694/1A1A	निजी	ड्राय	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
6	694/1B3A	निजी	ड्राय	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
7	695/3B	निजी	ड्राय	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
8	716/4A1	निजी	ड्राय	688.0000000(वर्ग मीटर)	0.0688000
9	829/1A	निजी	ड्राय	283.0000000(वर्ग मीटर)	0.0283000
10	867/3A1	निजी	ड्राय	546.0000000(वर्ग मीटर)	0.0546000
11	867/6A	निजी	ड्राय	729.0000000(वर्ग मीटर)	0.0729000
कुल				5,544.0000	0.5544

[फा. सं. NHAI/PIU-VIJ/11084/LA/NH-65 (N&K Bypass)/2022/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2022

S.O. 4308(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning/6 laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.65 in the stretch of land in NTR District for `6-laning of existing 2-lane (i) Nandigama Bypass from Km. 220.700 to Km. 226.600 (Design Chainage from Km. 220.700 to Km. 227.480) and (ii) Kanchikacherla Bypass from Km. 238.200 to Km. 245.760 (Design Chainage from Km. 238.200 to Km. 245.760) on NH-65 in the State of Andhra Pradesh under NHDP-IV on EPC Mode` hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector, NTR District, Vijayawada in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land for `6-laning of existing 2-lane (i) Nandigama Bypass from Km. 220.700 to Km. 226.600 (Design Chainage from Km. 220.700 to Km. 227.480) and (ii) Kanchikacherla Bypass from Km. 238.200 to Km. 245.760 (Design Chainage from Km. 238.200 to Km. 245.760) on NH-65 in the State of Andhra Pradesh under NHDP-IV on EPC Mode`.

State: ANDHRA PRADESH		District: NTR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nandigama					
Village: Nandigama					
1	430/1B2	Private	Dry	81.0000000(Square Meter)	0.0081000
2	430/2	Private	Dry	20.0000000(Square Meter)	0.0020000
3	640/1B1A	Private	Dry	1,943.0000000(Square Meter)	0.1943000
4	640/3A1	Private	Dry	769.0000000(Square Meter)	0.0769000
5	694/1A1A	Private	Dry	202.0000000(Square Meter)	0.0202000
6	694/1B3A	Private	Dry	121.0000000(Square Meter)	0.0121000
7	695/3B	Private	Dry	162.0000000(Square Meter)	0.0162000
8	716/4A1	Private	Dry	688.0000000(Square Meter)	0.0688000
9	829/1A	Private	Dry	283.0000000(Square Meter)	0.0283000
10	867/3A1	Private	Dry	546.0000000(Square Meter)	0.0546000
11	867/6A	Private	Dry	729.0000000(Square Meter)	0.0729000
Total				5,544.0000	0.5544

[F. No. NHAI/PIU-VIJ/11084/LA/NH-65 (N&K Bypass)/2022/3A]
RAJESH GUPTA, Director